XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक – एक/निगरानी/टीकमगढ़/भू.रा./2017/4457 जिला – टीकमगढ़

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
6–12–17	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री एम.पी. भटनागर एवं अनावेदक म.प्र. शासन की ओर से अधिवक्ता श्री प्रखर ढेंगुला उपस्थित । उभयपक्षों को ग्राह्यता के बिंदु पर सुना गया । 2/ उभयपक्षों के तर्कों पर विचार किया एवं अभिलेख का तथा आलोच्य आदेश का अवलोकन किया । यह प्रकरण नामांतरण का है । अपर आयुक्त ने अपने आदेश में स्पष्ट किया है कि आवेदक द्वारा ना तो अनुविभागीय अधिकारी के समक्ष और ना ही उनके समक्ष जिला न्यायाधीश टीकमगढ़ के आदेश के प्रति और ना ही उत्तरवादी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय में दायर याचिका की प्रति पेश की है । उन्होंने यह भी पाया है कि उभयपक्षों ने स्वत्व व घोषणा होने का वाद प्रचलित होना स्वीकार कर रहे हैं । उक्त कारणों से उन्होंने अनुविभागीय अधिकारी के आदेश की पुष्टि करते हुए अपील को निरस्त किया है । इस न्यायालय के समक्ष भी आवेदक द्वारा व्यवहार वाद लंबित होने की बात कही है और चूंकि स्वत्व के संबंध में व्यवहार वाद में जो अंतिम निर्णय होगा वह पक्षकारों के साथ राजस्व न्यायालयों पर भी बंधनकारी होगा और राजस्व न्यायालय उस अनसार कार्यवाही करने हेतु बाध्य हैं । ऐसी स्थिति में अधीनस्थ न्यायालय के आदेश में हस्तक्षेप का कोई कारण नहीं पाया जाता है । परिणामतः यह निगरानी आधारहीन होने से अग्राह्य की जाती है । आदेश की प्रति अधीनस्थ न्यायालय को भेजी जाये । प्रकरण दाखिल रिकार्ड हो । प्रशा0 सदस्य	

16

न्यायालय श्रीमान राजस्व मंडल ग्वालियर म0प्र0

I/निगरानी/टीकमगढ/कूरा/2017/4457

महेन्द्र कुमार धीर पुत्र स्व.श्री अमरनाथ धीर निवासी
विनोद कुंज तिराहा टीकमगढ तह. जिला टीकमगढ म0प्र0
---पुनरीक्षणकर्ता

बनाम

डॉ.श्रीमती नीलम नायक पत्नी डॉ. अशोक नायक निवासी
सिविल लाईन टीकमगढ तह.जिला टीकमगढ म0प्र0
---अनावेदक/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता

पुनरीक्षण प्रस्तुत न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के प्र0क0 161/अ-3/15-16 मे पारित आदेश दिनांक 11.09.2017 के विरूद्ध अंतर्गत धारा 50 म0प्र0 भू रा0संहिता 1959.

महोदय,

पुनरीक्षणकर्ता की विनय सादर प्रस्तुत है–

1. यह कि न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी टीकमगढ के प्रकरण कमांक 85/अपील/2013-14 से पारित आदेश दिनांक 04/09/2015 के विरूद्ध द्वितीय अपील माननीय अधीनस्थ न्यायालय अपर आयुक्त सागर संभाग सागर के यहां प्रस्तुत की थी जिसे अपर आयुक्त ने दिनांक 11/09/2017 को इस आधार पर निरस्त कर दिया कि उत्तरवादी/प्रतिपुनरीक्षणकर्ता ने उच्च न्यायालय मे याचिका दायर की है। तथा व्यवहार न्यायालय ने आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता का निराकरण हो चुका था परन्तु उक्त दोनो आदेश इसमे सम्मिलित नही किये गये इस कारण अपील को सारहीन मान लिया इस संबंध मे निवेदन है कि माननीय परीक्षण न्यायालय ने उक्त आदेश विधि सम्मत नही पारित किया क्योकि इस अपील के साथ आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता ने जिला न्यायाधीश महोदय टीकमगढ म0प्र0 की रेग्युलर अपील कमांक 52/ए/05 दिनांक 25/11/2005 संलग्न की थी जिसमे स्पष्ट आदेश था कि आगामी आदेश तक नामांतरण कार्यवाही न की जाये। इस संबंध में उत्तरवारी ने माननीय उच्च न्यायालय मे अपील दायर की थी जिसके विरूद्ध आवेदक/पुनरीक्षणकर्ता माननीय सुप्रीमकोर्ट गये थे वहां से एस.एल.पी. मे जो आदेश हुआ था उसकी प्रति दिनांक 05/12/2012 की संलग्न की थी परंतु उक्त प्रतियां किस स्थिति मे निकाल दी गई है और तकनीकी त्रुटि बताकर अपील को निरस्त कर दिया इससे दुखित होकर पुनरीक्षण विधि बिन्दुओं पर प्रस्तुत किया जा रहा है।